मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

''घ'' विंग द्वितीय तल, विन्ध्यांचल भवन भोपाल–462004

web-www.mpjalnigam.co.in, E-mail: mpjalnigam@gmail.com

Ph: 0755-2579874, 2579034 Fax: 0755-2579873

CIN. No.-U41000MP2012SGC028798

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

क्रमाँक / 4324 / 4 / जनसहभागिता / म.प्र.ज.नि.मर्या. / 2019 भोपाल, दिनाँक 30.5.19

प्रति,

जाग्रति युवा मंच समिति
पावर हाउस कॉलोनी, शाहनगर, पन्ना
मोब न. 9424350732

विषय– समूह जलप्रदाय योजनाओं के अंतर्गत ग्रामों में प्रसार–प्रसार एवं क्षमतावर्धन हेतु अशासकीय संस्थाओं का इम्पेनलमेंट।

सन्दर्भः– अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) विज्ञप्ति क्रमांक / 52 / जन.सह. / म.प्र.ज.नि.मर्या. / 2018 भोपाल, दिनांक 05 / 01 / 2019

....

मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा समूह जल प्रदाय योजना के ग्रामों में प्रचार–प्रसार एवं क्षमतावर्द्धन गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संस्था जाग्रति युवा मंच समिति को श्रेणी ''सी'' में इम्पेनल किया जाता है। उक्त इम्पेनलमेंट नीचे दर्शाई गई शर्तों के अंतर्गत प्रभावशील माना जावेगा :–

1. संस्था ''सी'' श्रेणियों की समूह जल प्रदाय योजनाओं के ग्रामों में प्रचार–प्रसार एवं क्षमतावर्द्धन के कार्यों हेतु पात्र / सक्षम होगीं।
2. इम्पेनलमेंट आदेश जारी होने की दिनाँक से आगामी 03 वर्षों तक वैद्य होगा।
3. मध्यप्रदेश शासन / मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा इम्पेनलमेंट / पंजीकरण के सबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होगें।
4. आवेदन पत्र के साथ दी गई विषय विशेषज्ञों आदि की जानकारी में कोई भी परिवर्तन होने की स्थिति में इस कार्यालय को तत्काल सूचना देना होगी।
5. संस्था ''सी'' श्रेणियों की समूह जल प्रदाय योजनाओं के ग्रामों में प्रचार–प्रसार एवं क्षमतावर्द्धन के कार्यों हेतु वित्तीय प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु पात्र / सक्षम होगी।
6. संस्था द्वारा संपादित कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर मध्यप्रदेश जल निगम को इम्पेनलमेंट अवधि से पूर्व समाप्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
7. आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराए जाने पर प्रमाण पत्र अभिलेख त्रुटि पूर्ण / असत्य पाए जाने पर इम्पेनलमेंट निरस्त माना जायेगा।
8. संस्था किसी भी शासकीय विभाग / उपक्रम में ब्लेक लिस्ट पाई / सूचित की जाती है तो संस्था का इम्पेनलमेंट स्वतः निरस्त माना जावेगा।

भवदीय

(एन.पी.मालवीय)
परियोजना निदेशक